कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आगरा फुटवियर मैन्यू0 एण्ड एक्सपोर्ट्स चेम्बर, 5 / 138, हींग की मण्डी, आगरा।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**31 / 10**
प्रार्थी की ओर से	**श्री राज राजन बंसल, अधिवक्ता एवं श्री सुरेश कपूर।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-31 / 10, दिनांक 7.4.10 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से व्यापारी द्वारा निम्न 3 प्रश्न पूछे गये हैं :-

1. क्या कोई निर्माता निर्यातक इकाई उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में फार्म 'E' जारी करके बिना बैट के डीलर के माध्यम से माल खरीद सकता है ? तथा साथ ही ऐसी प्रान्तीय Tax Invoice से की गई खरीद जिस पर वैट का भुगतान किया गया है, का विभाग से I.T.C. का रिफन्ड भी ले सकता है।

2. क्या कोई निर्माता निर्यातक इकाई डीलर के माध्यम से केवल Tax Invoice से की गयी प्रान्तीय खरीद पर दिये गये कर को I.T.C के अन्तर्गत रिफन्ड लेता सकता है ?

3. क्या कोई निर्माता निर्यातक इकाई निर्माण में प्रयोग हेतु की गयी खरीद केवल 'E' फार्म जारी करके ही कच्चा माल एवं अन्य वस्तुयें खरीद सकता है ?

2. फर्म की ओर से श्री राज राजन बंसल, अधिवक्ता एवं श्री सुरेश कपूर उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्माता निर्यातकों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-क0 नि0 2-247 / ग्यारह-9 (341) 09 उ0 प्र0 अधि0-5-08 आदेश- (58)-2010 दिनांक 24.2.10 द्वारा उ0 प्र0 वाणिज्य कर अधिनियम की धारा-7 के क्लॉज 'सी ' में संशोधन करते हुए निर्माता निर्यातकों द्वारा की गई Raw materials आदि की **सीधी खरीद** को कर मुक्ति प्रदान की गई है जिसके लिये निर्यातक निर्माता द्वारा फार्म 'E' विक्रेता व्यापारी को जारी किया जायगा। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-7 ए (3) धारा-13, 15 एवं 41 के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की गई है तथा वर्तमान समय में नोटिफिकेशन संख्या-247, दिनांक 24.2.10 के आने के पश्चात भी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-7, 13, 15 एवं 41 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अत: उपरोक्त नोटिफिकेशन की व्यवस्था जारी होने के पश्चात क्या दोनों स्थितियाँ प्रभावित रहेंगी। यदि नहीं तो उक्त का आधारयुक्त कारण स्पष्ट होना चाहिए।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा द्वारा अपने पत्रांक-116, दिनांक 13.4.10 द्वारा आख्या प्रेषित की गई है **जिसके अनुसार धारा-59 (1) के अन्तर्गत व्यापारी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य है** तथा निर्माता निर्यातक इकाइयों को नोटिफिकेशन संख्या-247, दिनांक 24.2.10 एवं मुख्यालय के पत्रांक-2182, दिनांक 25.3.10 के अन्तर्गत फार्म 'E' की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। अत: उक्त नोटिफिकेशनल के अन्तर्गत जिन निर्माता निर्यातक इकाइयों को फार्म 'E' के माध्यम से डीलर द्वारा की गयी बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-13 (7) के अन्तर्गत I.T.C. की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय धारा-59 अनुभाग

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, प्राप्त विभागीय आख्या एवं प्रस्तुत साक्ष्यों आदि का अवलोकन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-7, 13, 15, 41 आदि में कोई संशोधन नहीं किया गया है तथा इसके अतिरिक्त धारा-7 (सी) के अन्तर्गत ही नोटिफिकेशन संख्या-247, दिनांक 24.2.10 भी जारी किया गया है। निर्माता निर्यातक के मामले में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में दिये गये पूर्व प्राविधानों के अतिरिक्त नोटिफिकेशन संख्या-247, दिनांक 24.2.10 द्वारा अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गयी है। दोनों प्राविधान प्रभावी रहेंगे।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 30, अप्रैल, 2010

ह0 / 30.4.10

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि